R.E.O.-175

जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि०

क्रमांक : जोडि/अ.प्रनि/अ.अ./पीपी एण्ड एम/फा० /प्रे० 2648 जोधपुर, दिनांक 11-1-10

आदेश

विषय :–फव्वारा एंव बूंद–बूंद सिंचाई के लिये विद्युत कनेक्शन प्राथमिकता से देने की योजना ।

****

शासन उप सचिव, उर्जा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के पत्र क्रंमाक प.12(10)/ऊर्जा/2006 दिनांक 17.12.09 मे वर्णित मंत्रिमंडल की आज्ञा संख्या 113/2009,3(ख) की अनुपालना में पानी के संरक्षण को बढावा देने के उद्देश्य से किसानो को उच्च प्राथमिकता से बूंद–बूंद/फव्वारा सिचाई पद्वति के लिए विद्युत कनेक्शन देने की योजना की स्वीकृति निम्न शर्तो के अधीन एतद् द्वारा प्रदान की जाती है:–

1. इस पद्वति में कृषि कनेक्शन उच्च प्राथमिकता से दिनांक 31.12.2009 तक पंजीकृत उन आवेदकों को दिये जावेगें जो लिखित रुप से बूंद–बूंद/फव्वारा पद्वति में कनेक्शन लेने हेतु योजना मे परिवर्तन के लिए 1000/–रुपये की राशि जमा करा, आवेदन करेगें।
2. इस पद्वति के अन्तर्गत लाईन एवं ट्रांसफार्मर सब स्टेशन की पूरी लागत आवेदक द्वारा वहन की जावेगी।
3. इस पद्वति के अन्तर्गत जारी मांग पत्र की राशि जमा करने से पूर्व आवेदक को कृषि विभाग से यह प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा कि वे बूंद–बूंद/फव्वारा पद्वति एवं डिग्गी की स्थापना कर चुके है/स्थापित करने जा रहे है।
4. इस श्रेणी के समस्त आवेदकों की वरीयता सूची उपखण्ड स्तर पर पृथक से संधारित की जावेगी।
5. इस पद्वति के लिए निम्न विद्युत दरें अनुसूची एजी/एमएस/एलटी–4 के अन्तर्गत लागू होगी :–
   1. प्रभार की दर सी–1 – रुपये 50 प्रति कनेक्शन प्रति माह
   2. ऊर्जा प्रभार की दर सी–2 (iii) – रुपये 2.10 प्रति यूनिट
   3. न्यूनतम बिलिंग डी (iii) – रुपये 200 प्रति हार्स पॉवर प्रति माह
6. ऐसे कनेक्शनो को उस उपखण्ड में उनकी प्राथमिकता के समकक्ष, सामान्य कृषि श्रेणी के कनेक्शन जारी होने पर सामान्य कृषि श्रेणी मे परिवर्तित कर दिया जावेगा। इस पद्वति में विद्युत कनेक्शन मांग पत्र की राशि जमा होने की तिथी से अधिकतम 6 माह में जारी कर दिये जावेगें।
7. इस योजना का लाभ लेने हेतु आवेदक को , बूंद–बूंद/फव्वारा पद्वति के उपयोग के साथ–साथ, डिग्गी का निर्माण कृषि एवं उद्यानिकी विभाग के मापदण्डो के अनुसार करवाना अनिवार्य होगा।
8. यदि आवेदक बूंद–बूंद/फव्वारा सिंचाई पद्वति का उपयोग करना बन्द कर पारम्परिक सिंचाई पद्वति से ही सिचाई करना प्रारम्भ करता है, तो उसका विद्युत संबध तुरन्त विच्छेद कर दिया जावेगा।